



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 2019/श्रावण 19, 1941

No. 459]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 2019/SHRAVANA 19, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2019

सं. 32 /2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 568(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 3904 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 जून, 2014, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/34/2018-डीजीटीआर, दिनांक 29 अक्टूबर, 2018, जिसे दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 जून, 2019, जिसे सा.का.नि. 1222 (अ), दिनांक 11 जून, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा 12 अगस्त, 2019, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/34/2018-डीजीटीआर, दिनांक 18 जुलाई, 2019, जिसे दिनांक 18 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित, अपने अंतिम निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

- (i) प्रश्नगत उत्पाद का पीओआई के दौरान विषयगत देशों से बहुत ही कम कीमत पर भारत को निर्यात किया गया है;
- (ii) इससे पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को न तो कीमत की दृष्टि से और न ही प्रतिपाटन शुल्क जैसे उपायों को लागू होने के कारण मात्रा की दृष्टि से कोई सारवान क्षति हुई है। प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से आयात होने से यहाँ क्षति होने की संभावना है। थाईलैंड से आयात होने से जो क्षति हो सकती है वह बहुत ही कम और नगण्य के बराबर है।
- (iii) इस संभावित विश्लेषण से पता चलता है कि यदि प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से जो निर्यात भारत से भिन्न देशों को हो रहा है वह भारत को होने लगेगा। इस प्रकार के दिशा परिवर्तित निर्यात के भारी भरकम मात्रा के अवतरण मूल्य से हमारे घरेलू उद्योग को, उस समय जब पीओआई के पश्चात हम एनआईपी से इसकी तुलना करेंगे तो, उद्योग को काफी नुकसान हो जाएगा।

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मात्रा की दर से कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:

शुल्क सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपोलिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	i. मैसर्स टिआनजिंग एलजी बोहाई केमिकल कंपनी लिमिटेड ii. मैसर्स टिआननिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड iii. मैसर्स टिआनजिन डागू केमिकल कंपनी लिमिटेड iv. मैसर्स झिंगझिआन शेंगझिआंग क्लोर अल्कली कंपनी लिमिटेड v. मैसर्स चिपिंग झिंगफा पीवीसी कंपनी लिमिटेड.	61.14	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

					vi. मैसर्स सी.एन.एस.जी. जिलानटाई साल्ट क्लोरी - अल्कली कंपनी लिमिटेड. vii. मैसर्स यीविन हार्डफिंग हैरूई कंपनी लिमिटेड.			
2.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त कॉलम (6) में से vii में उल्लिखित उत्पादकों से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	147.96	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	147.96	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैसर्स वेस्टलेक विनायल्स कंपनी लिमिटेड या मैसर्स वेस्टलेक विनायल्स इंक या मैसर्स एकसल, एलएलसी	29.99	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैसर्स ओक्सी विनायल्स, एलपी	49.10	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैसर्स वेस्टलेक विनायल्स कंपनी लिमिटेड या मैसर्स वेस्टलेक विनायल्स इंक या मैसर्स एकसल, एलएलसी, मैसर्स ओक्सी विनायल्स, एलपी को छोड़कर अन्य कोई भी उत्पादक	115.54	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य कोई भी देश	कोई भी	115.54	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट : विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड) है, जहां विभिन्न पालिमर श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, हालांकि, जिसमें विशेष पाली विनाइल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिस जैसे कि क्रास-लिंकड पाली विनाइल क्लोराइड, क्लोरिनेटिड पाली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड-विनाइल एसिटेट को पालीमर- (वीसी-वीएसी), पाली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन और पाली विनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेसिन शामिल नहीं हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क 13 अगस्त, 2019 से 30 महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/70/2007-टीआरयू (पार्ट-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2019

No. 32/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 568(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No.7/34/2018 DGTR, dated the 29th October, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th October, 2018, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9 A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade)’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the heading 3904 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from originating in or exported from China PR, Thailand and United States of America (hereinafter referred to as the subject Countries), imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2014- Customs (ADD), dated the 13th June, 2014;

And whereas, the Central Government had extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject Countries upto and inclusive of the 12th day of August, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2019-Customs (ADD), dated the 11th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 416 (E), dated the 11th June, 2019;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject Countries, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification No. F. No.7/34/2018-DGTR, dated the 18th July, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th July, 2019 has come to the conclusion that: -

- (i) the product under consideration has been exported into India from the subject countries during period of investigation at dumped prices;
- (ii) the Domestic Industry has not suffered material injury during the period of investigation in terms of either price or volume effect with anti-dumping duty measure being in force. There exists likelihood of injury due to imports from USA and China on cessation of AD duty and the likelihood of injury of imports from Thailand is quite low and insignificant;
- (iii) the likelihood analysis indicates that in event of cessation of Anti-dumping duty, the exports by USA and China to countries other than India are likely to get diverted to India and the landed value of significant volume of such diverted exports would cause injury to the domestic industry when compared with the Net Import Price during post period of investigation.

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7) in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	People's Republic of China	People's Republic of China	i. M/s Tianjin LG Bohai Chemical Co., Ltd. ii. M/s Tianneng Chemical Co., Ltd iii. M/s Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd iv. M/s Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd v. M/s Chiping Xinfu PVC Co., Ltd. vi. M/s CNSG Jilantai Salt Chloride - Alkali Chemical Co., Ltd. vii. M/s Yibin Haifeng Herui Co., Ltd.	61.14	MT	US Dollar
2.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	People's Republic of China	People's Republic of China	Any other producer except i to vii mentioned above in column no. (6)	147.96	MT	US Dollar
3.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any	147.96	MT	US Dollar
4.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	United States of America	United States of America	M/s Westlake Vinyls Company LP or M/s Westlake Vinyls, Inc., or M/s Axial, LLC	29.99	MT	US Dollar

5.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	United States of America	United States of America	M/s Oxy Vinyls, LP	49.10	MT	US Dollar
6.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	United States of America	United States of America	Any other producer except M/s Westlake Vinyls Company LP, M/s Westlake Vinyls, Inc., M/s Axial, LLC, M/s Oxy Vinyls, LP	115.54	MT	US Dollar
7.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	United States of America	Any country other than United States of America	Any	115.54	MT	US Dollar

Note: The product under consideration is Homopolymer of vinyl chloride monomer (PVC) (suspension grade) where various polymer chains are not linked to each other, which however, excludes the specialty poly vinyl chloride suspension resins such as cross-linked poly vinyl chloride, chlorinated poly vinyl chloride (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-Vac), poly vinyl chloride paste resin and poly vinyl chloride blending resin.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of 30 Months (unless revoked, superseded or amended earlier) from the 13th August, 2019 and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/70/2007–TRU (Pt. II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.